



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.04.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी ।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 वांछित अभियुक्तों/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक खीरी डा० ख्याति गर्ग महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक मितौली के नेतृत्व में थाना मितौली की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियोग में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों/अभियुक्ता 1.पुरुषोत्तम बाजपेई पुत्र चन्द्रभाल बाजपेई निवासी ग्राम पारा थाना मंझिला जनपद हरदोई 2.प्रवेश कुमार पुत्र रामनाथ निवासीग्राम चाँदपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर 3.संध्या देवी पत्नी स्व० गणेश निवासी ग्राम निमचैना थाना महोली जनपद सीतापुर को अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.पुरुषोत्तम बाजपेई पुत्र चन्द्रभाल बाजपेई निवासी ग्राम पारा थाना मंझिला जनपद हरदोई
- 2.प्रवेश कुमार पुत्र रामनाथ निवासीग्राम चाँदपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
- 3.संध्या देवी पत्नी स्व० गणेश निवासी ग्राम निमचैना थाना महोली जनपद सीतापुर

बरामगी का विवरण -

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर घटना में प्रयुक्त मोबाइल व सिम कार्ड
घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल नम्बर - UP 30BE 2915 स्पलेन्डर काला रंग

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्ता संध्या देवी (मृतक की पत्नी) अभियुक्त पुरुषोत्तम के साथ काफी समय से सम्पर्क में थी। अभियुक्तगणों द्वारा साजिश के तहत दिनांक 16.04.2026 को मृतक गणेश जो तेल पिरवा कर अकेले वापस घर लौट रहा था को रास्ते में रोककर तमंचे से फायर कर हत्या कारित की गयी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पुरुषोत्तम बाजपेई

- 1.मु०अ०स० 29/23 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी अधि० थाना मंझिला जनपद हरदोई
- 2.मु०अ०स० 123/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 120 (बी) 147/148/148/302/307/341/506 भादवि थाना मंझिला जनपद हरदोई

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रवेश कुमार

- 1.मु०अ०स० 338/23 धारा 498 (ए)/304 (बी)/ 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना शाहाबाद जनपद हरदोई

गिरफ्तार करने वालीटीम:-

- 1.प्र०नि० महेश पाठक थाना मितौली जनपद खीरी
2. उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना मितौली जनपद खीरी
- 3.उ०नि० उदयवीर यादव थाना मितौली जनपद खीरी
4. हे०का० होरी लाल थाना मितौली जनपद खीरी
5. हे०का० करुणेश वर्मा थाना मितौली जनपद खीरी
6. का० सुगम सिंह थाना मितौली जनपद खीरी
7. का० दीपक कुमार थाना मितौली जनपद खीरी
8. म०का० निकिता चन्देल थाना मितौली जनपद खीरी
9. म०का० रश्मि थाना मितौली जनपद खीरी

थाना पलिया पुलिस द्वारा, गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में गुमशुदा/अपहृताओं की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे "आपरेशन मुस्कान" के तहत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 28.04.2026 को थाना पलिया पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति सौरभ माहेश्वरी पुत्र अवधेश कुमार माहेश्वरी उम्र 43 वर्ष निवासी अजीतनगर पटिहन रोड थाना पलिया खीरी को सकुशल बरामद किया गया । दिनांक 27.04.2026 को श्री लकी माहेश्वरी पुत्र अवधेश कुमार माहेश्वरी निवासी अजीतनगर पटिहन रोड थाना पलिया जनपद खीरी के द्वारा अपने भाई सौरभ माहेश्वरी पुत्र अवधेश कुमार माहेश्वरी उम्र 43 वर्ष, जो कि दिनांक 27.04.2026 सुबह 07.00 बजे घर से मन्दिर गये थे जो वापस घर नहीं आये, के संबंध में थाना पलिया पर सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर नियमानुसार गुमशुदगी संख्या 12/2026 पंजीकृत कर गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे थे । उपरोक्त गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु थानाध्यक्ष पलिया श्री पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया । अलग- अलग टीमों के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरो व गुमशुदा व्यक्ति की फोटो दिखाकर लोगो से जानकारी की गई एवं गुमशुदा व्यक्ति के मोबाइल नम्बरों की लोकेशन सर्विलांस सेल के माध्यम से प्राप्त की गई । जिसके आधार पर गुमशुदा सौरभ माहेश्वरी की अंतिम लोकेशन सुरेश शर्मा नगर चौराहा थाना बारादरी जनपद बरेली में होना पाई गई । गुमशुदा व्यक्ति की सकुशल बरामदगी हेतु थाना पलिया से गठित पुलिस टीम को तत्काल अंतिम लोकेशन के आधार पर पलिया से रवाना किया गया जिनको थाना पलिया पुलिस टीम के द्वारा सुरेश शर्मा नगर चौराहा जनपद बरेली से सकुशल बरामद कर पलिया लाकर नियमानुसार गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों को सूचित कर सुपुर्द किया गया । गुमशुदा व्यक्ति सौरभ माहेश्वरी की सकुशल बरामदगी होने पर परिजनों व क्षेत्र के सभ्रांत व्यक्तियों द्वारा समस्त पलिया पुलिस टीम की सराहना एवं प्रशंसा की जा रही है ।

नाम पता गुमशुदा व्यक्ति:-

सौरभ माहेश्वरी पुत्र अवधेश कुमार माहेश्वरी उम्र 43 वर्ष निवासी अजीतनगर पटिहन रोड थाना पलिया खीरी ।

गठित टीम का विवरण:-

टीम 01-

थानाध्यक्ष श्री पंकज त्रिपाठी, थाना पलिया जनपद खीरी ।

हे0कां0 अनुज कुमार, थाना पलिया जनपद खीरी ।

हे0कां0 जयप्रकाश यादव, थाना पलिया जनपद खीरी ।

आ0 विजय तिवारी, थाना पलिया जनपद खीरी ।

आ0 अंकित शर्मा, थाना पलिया जनपद खीरी ।

टीम 02-

म0उ0नि0 सुश्री निशा शुक्ला, थाना पलिया जनपद खीरी ।

हे0कां0 जितेन्द्र कुमार, थाना पलिया जनपद खीरी ।

आ0 वसीम, थाना पलिया जनपद खीरी ।

आ0 विकाश कुमार, थाना पलिया जनपद खीरी ।

आ0 शिवम कुमार प्रथम, थाना पलिया जनपद खीरी ।

आ0 शिवम कुमार द्वितीय, थाना पलिया जनपद खीरी ।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक खीरी डा० ख्याति गर्ग महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन तथा थानाध्यक्ष नीमगांव के नेतृत्व में थाना नीमगांव की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को, मु०अ०सं० 145/2026 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त वहीद पुत्र हबीब निवासी खाँ निवासी ग्राम रोशननगर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में समुचित धाराओं का समावेश कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

वहीद पुत्र हबीब निवासी खाँ निवासी ग्राम रोशननगर थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 33/11 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी
2. मु०अ०सं० 302/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
3. मु०अ०सं० 318/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी
4. मु०अ०सं० 177/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी
5. मु०अ०सं० 244/22 धारा 2(ख)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवीर गौतम थाना नीमगांव जनपद खीरी
2. उ०नि० ब्रजेश कुमार सिंह थाना नीमगांव जनपद खीरी
3. हे०का० शैलेन्द्र कुमार शुक्ला थाना नीमगांव जनपद खीरी
4. रिक्रूट आरक्षी मोहित राय थाना नीमगांव जनपद खीरी
5. रिक्रूट आरक्षी संगम थाना नीमगांव जनपद खीरी

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक खीरी डा० ख्याति गर्ग महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन तथा थानाध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में थाना हैदराबाद की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को, वारण्ट सं० 6739/2022 मु०अ०स० 158/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त 1.दाताराम पुत्र दुर्ज निवासी ग्राम तुर्कीखेडा थाना हैदराबाद जनपद खीरी तथा वारन्ट सं 55620/2021 मु०अ०स० 333/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व क्रिमिनल केस नं० 2716/2022 मु०अ०स० 177/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त 2.रामनरेश पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम जियनपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण -

- 1.दाताराम पुत्र दुर्ज निवासी ग्राम तुर्कीखेडा थाना हैदराबाद जनपद खीरी
- 2.रामनरेश पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम जियनपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० हेमन्त कटियार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
- 2.का० नीरज कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
- 3.का० प्रेमशंकर थाना हैदराबाद खीरी
- 4.का० मोहित कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, चोरी की साइकिल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक खीरी डा० ख्याति गर्ग महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन तथा थानाध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में थाना हैदराबाद की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को, दिनांक 28.04.2026 को ग्राम झाऊपुर से वादी हरविन्दर सिंह पुत्र इकबाल सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी की एटलस की साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त अक्षय पुत्र शत्रोहन लाल निवासी ग्राम झाऊपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी को मय चोरी की साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अक्षय पुत्र शत्रोहन लाल निवासी ग्राम झाऊपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० हेमन्त कटियार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
- 2.का० नीरज कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
- 3.का० प्रेमशंकर थाना हैदराबाद खीरी

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, वारण्टी अभियुक्त यूनस पुत्र अबुल रहमान को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक खीरी डा० ख्याति गर्ग के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक पढुआ के नेतृत्व में थाना पढुआ की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को, SESSION TRIAL/14/2024 में वारण्टी अभियुक्त यूनस पुत्र अबुल रहमान निवासी ग्राम डन्डूरी थाना पढुआ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण -

यूनस पुत्र अबुल रहमान निवासी ग्राम डन्डूरी थाना पढुआ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० अभिषेक सिंह थाना पढुआ जनपद खीरी
- 2.का० चन्द्रमोहन त्यागी थाना पढुआ जनपद खीरी
- 3.का० रचित राजपूत थाना पढुआ जनपद खीरी

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, वारण्टी अभियुक्ता अकबरी पत्नी जलील को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक खीरी डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक पढुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 28.04.2026 को थाना पढुआ की पुलिस टीम द्वारा, मुकदमा नं0 1137/2021 में वारण्टी अभियुक्ता अकबरी पत्नी जलील निवासी ग्राम कुर्तेहया थाना पढुआ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

अकबरी पत्नी जलील निवासी ग्राम कुर्तेहया थाना पढुआ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 जुबैर अहमद थाना पढुआ जनपद खीरी
- 2.का0 यशपाल कुमार थाना पढुआ जनपद खीरी
- 3.रा0 प्रकाश द्विवेदी थाना पढुआ जनपद खीरी
- 4.रिक्रूट महिला आरक्षी हेमा प्रजापति थाना पढुआ जनपद खीरी